झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–20/2016 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के स्थापना तथा निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू0 244,73,21,500/– (रू0 दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। यह राज्य खनिज संसाधनों से भरपुर एवं धनी है, परन्तु यहाँ के छात्र–छात्राओं, विशेषकर छात्राओं को पर्याप्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें तकनीकी क्षेत्र में पूर्णरूपेण सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तथा इनका पलायन भी दूसरे राज्यों में हो रहा है। उक्त के निमित राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में विभागान्तर्गत पूर्व से संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जीर्णोद्धार/विकास के साथ–साथ नये अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक संस्थानों के स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है।

राज्य में सरकारी क्षेत्र में मात्र 02 अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित है तथा PPP Mode पर 03 अभियत्रण महाविद्यालय संचालित है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2023–24 में राँची/खूँटी, गिरिडीह तथा साहेबगंज में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना वाले 03 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्थापना हेतु घोषणा की गयी है जिससे तकनीकी शिक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार होगा।

2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के स्थापना एवं निर्माण हेतु उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक 1592 दिनांक 01.07.2023 द्वारा गिरिडीह जिला के सदर अंचल अन्तर्गत मौजा–जरीडीह, थाना नं0–104, खाता सं0–180, प्लॉट सं0 1390 कुल रकवा–35.00 एकड गैरमजरूआ खास भूमि निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांतरित की गयी है।

3. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्रांक 545 दिनांक 13.06.2024 के आलोक में कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 3092A(नि0) दिनांक 19.12.2024 द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण हेतु कुल रू0 244,73,21,500/– (रू0 दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ) मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन Estimate No.- 665/T.A/H.E/JSBCCL/ 2024-25 दिनांक 19.12.2024 के साथ विभाग को अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विभागीय संलेख ज्ञापांक 780 दिनांक 26.08.2025 में सन्निहित विषयांकित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2025 में मद सं0 49 के रूप में सम्मिलित करते हुए कुल रू0 244,73,21,500/– (रू0 दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ) मात्र की प्राक्कलित राशि की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना एवं निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि रू0 244,73,21,500/– (रू0 दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है –

Sl.No.	Particular	Amount
1.	2 Academic Block	76,86,88,092.00
2.	Administrative Block	6,06,09,916.00
3.	Auditorium Block	13,00,69,558.00
4.	SRC Building	6,86,27,898.00

5.	4 Workshop	2,12,15,792.00
6.	Indoor Stadium	6,10,92,943.00
7.	General Store & ATM Block	11,10,032.00
8.	2 Boys Hostel	42,71,13,250.00
9.	Girls Hostel	21,35,33,851.00
10.	Canteen+Mess (1 Canteen+2 Girls/Boys Mess)	4,53,74,139.00
11.	Teaching Staff Quarter	5,47,08,292.00
12.	Non-Teaching Staff Quarter	4,25,53,939.00
13.	Principal Residence	60,79,322.00
14.	2 Electrical Sub Station	38,51,112.00
15.	20 No. Septic Tank - 100 User	39,59,733.00
16.	Deep Boring	42,49,184.00
17.	Rain Water Harvesting	44,53,674.00
18.	UG Tank for Fire Fighting (100 KL)	49,19,045.00
19.	Front Bitumen Road (10.0m wide)	69,74,308.00
20.	Paver Pathway with Parking & drain (6.0m wide)	2,22,22,284.00
21.	External Electrification	3,20,77,203.00
22.	Cutting & Filling of Earth	1,68,84,600.00
23.	Landscaping	10,64,308.00
	Sub Total (A)	2,00,14,32,475.00
	Add 18% G.S.T. on 'A'	36,02,57,845.00
	Total with G.S.T. (B)	2,36,16,90,320.00
	Add Labour Cess @ 1% (C)	2,36,16,903.00
	Add JSBCCL Operational Charge (D)	6,20,14,325.00
	Grand Total (B+C+D)	244,73,21,548.00
	Say Rs.	244,73,21,500.00
	(रू0 दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ)	

4. विषयांकित कार्य हेतु उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105/796–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

5 यह अभियंत्रण महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित किया जायेगा तथा नियमानुसार पद सृजन की कार्रवाई की जायेगी।

6. यह योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा। विषयांकित कार्य की पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 24 माह में होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात 01 माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार संभावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत् है –

क्र0	वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
1	2025–26	55,00,00,000/-	40%
2	2026–27	100,00,00,000/-	50%
3	2027–28	89,73,21,500/-	10%

7. परियोजना के अनुश्रवण हेतु राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक में कार्यरत प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ व्याख्याता की दो सदस्यीय एक समिति (असैनिक एवं विद्युत अभियंत्रण संकाय से संबंधित) का गठन किया जायेगा जो समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की जाँच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेगी। निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा समय–समय पर पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा की जायेगी।

8. बी0आई0टी0 सिन्दरी का पत्रांक 1042 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के स्थापना हेतु तैयार DPR के Building/Classroom/Labs आदि को AICTE मानक के अनुरूप पाते हुए Vetting दिया गया है।

9. विषयांकित कार्य को निर्धारित अवधि में PWD Code एवं अन्य नियमों के आलोक में नियमानुसार झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
11. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
13. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
14. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
15. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
16. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
18. प्रस्ताव एवं संलेख पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
19. प्रस्ताव को योजना एवं विकास विभाग का ज्ञापांक–रा0यो0प्रा0–62/2025 दिनांक 28.07.2025 के अनुसार राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.07.2025 को सम्पन्न बैठक में अनुशंसित है।
20. प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–20/2016 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–20/2016 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :–निदेशक, तकनीकी शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजकीय अभियत्रंण महाविद्यालय का संचालन सरकारी क्षेत्र में किये जाने के निमित पद सृजन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–20/2016/15/योजना /राँची, दिनांक–16.09.2025
प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/बजट पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोड़ल पदाधिकारी को न्चसवंक करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/IX/25
सरकार के अपर सचिव